UPBG010039252026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय संख्या- 01, बागपत।

उपस्थित : विष्णु प्रसाद अग्रवाल, उच्चतर न्यायिक सेवा

जे० ओ० कोड नं० यू० पी० 6258

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या: 1357/2026

मोनू उर्फ मनीष पुत्र मोहनलाल, निवासी मकान नम्बर- 2 मेन 33 फुटा रोड नम्बर-4, शिव विहार, करावलनगर, दिल्ली- 110094

.....अभियुक्त।

बनाम

राज्य

.....अभियोजक।

दिनांकः 24.07.2026

आदेश

1- प्रार्थी/अभियुक्त **मोनू उर्फ मनीष** की ओर से मु०अ०सं० 105/2026, अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता, थाना बागपत, जनपद बागपत में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **शपथपत्र राजेश** इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय में प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे उक्त मुकदमे में झूठा फँसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन कहानी मनघडन्त, अप्राकृतिक एवं विश्वास योग्य नहीं है। उससे कोई बरामदगी नहीं दिखायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने चोरी की कोई घटना कारित नहीं की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट समय विपरीत है, जिसका अभियोजन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई बरामदगी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई स्वतन्त्र जन साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध घटना कारित करने का कोई हेतुक नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही प्रार्थी/अभियुक्त किसी मुकदमे में सजायाफ्ता है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे में दिनांक 15.07.2026 से जिला कारागार, बागपत में बन्द है। उपरोक्त मुकदमे में सह-अभियुक्त अरविन्द की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त मान्य न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4- संक्षेप में अभियोजन कथनाक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मोमिन मलिक के द्वारा थाना बागपत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय के साथ दर्ज करायी कि '... प्रार्थी की बैटरी की दुकान एमके बैटरी के नाम से बडौत रोड एचपी पेट्रोल पम्प से आगे इंडसइंड बैंक के सामने बागपत में स्थित है। कल दिनांक 11.02.2026 को समय करीब रात्रि के 08:30 बजे प्रार्थी अपनी दुकान बन्द करके अपने घर चला गया तथा आज दिनांक 12.02.2026 को सुबह के समय जब प्रार्थी अपनी दुकान पर आया तो देखा कि मेरी उक्त दुकान का सैन्टर लॉक टूटा हुआ है और गल्ले में नकद रखे अंकन 42,800/- रु० भी चोरी हो गये हैं। जिसकी सूचना प्रार्थी ने तुरन्त डायल 112 पर पुलिस को दी इसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची तथा पड़ोस की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चैक करने पर पाया कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी रजि० सं० HR 55 AU

9364 में कुछ अज्ञात व्यक्ति समय देर रात्रि लगभग 03:30 बजे चोरी करने के लिए मेरी दुकान का ताला तोड़कर दुकान के अन्दर से चोरी करके गाड़ी उपरोक्त में बैठकर फरार हो गये। अब प्रार्थी रिपोर्ट को थाने आया है। ...' उपरोक्त के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ।

5- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसने उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त को तथाकथित घटना कारित करते हुए देखे जाने के सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से फर्जी बरामदगी दर्शित की गयी है तथा कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी भी दर्शित नहीं किया गया है। मामले में सह-अभियुक्त अरविन्द की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है, जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त भी समानता के आधार पर जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

6- अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

8- प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों के अनुसार, प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसके द्वारा सह-अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की बैटरी की दुकान एमके बैटरी, स्थित बडौत रोड एचपी पेट्रोल पम्प से आगे इंडसइंड बैंक के सामने बागपत, का सेन्टर लॉक तोड़ कर दुकान के गल्ले में रखे अंकन 42,800/- रुपये चोरी कर लिये गये। थाने से प्राप्त आख्या में प्रार्थी/अभियुक्त का इस मामले के अतिरिक्त अन्य किसी मामले में आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में अन्य सह-अभियुक्त अरविन्द की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 15.07.2026 से जिला कारागार, बागपत में निरुद्ध होना बताया गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए, न्यायालय का मत है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मोनू उर्फ मनीष** की ओर से मु०अ०सं० 105/2026, अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता, थाना बागपत, जनपद बागपत में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **अंकन 50,000/- (पचास हजार) रुपये** का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू पत्र एवं निम्नलिखित अण्डटेकिंग सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टिनुसार दाखिल करने पर प्रस्तुत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा किया जाये:-

1. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।

दिनांकः 24.07.2026

विष्णु प्रसाद अग्रवाल
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या–01, बागपत।